उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

Uttar Pradesh State Legal Services Authority

महिलाओं के हित संरक्षण हेतु कानून

महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके हितों के संरक्षण व संवर्धन हेतु अनेक कानून बनाये गये हैं।

भारतीय न्याय संहिता- 2023

भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66, 67, 68, 70 व 71 में बलात्कार के मामलों में कठोरतम दण्ड का प्रावधान किया गया है।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 75, 76, 77, व 78 में महिलाओं के लैंगिक उत्पीडन एवं उनके शील हरण को गंभीर अपराध बनाया गया है। भारतीय न्याय संहिता में धारा 85 दहेज हेतु क्रुरता करने वाले व्यक्ति को तीन वर्ष तक के कारावास से दण्डित करने का प्रावधान करती है।

धारा 80 में दहेज हत्या एवं धारा 108 में आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरण का मामला आयेगा।

धारा 124 में अम्लीय हमले से शारीरिक क्षति के अपराध मे आजीवन कारावास तक के दण्ड का प्रावधान किया है।

भारतीय नागरिक संहिता- 2023

धारा -144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पत्नी को अपने पति से भरण - पोषण प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करती है।

धारा -184 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बलात्कार की पीडिता के चिकित्सीय परीक्षण का प्रावधान करती है।

दहेज प्रतिषेध कानून-1961

इस कानून के तहत दहेज लेने तथा देने वाले दोनों ही अपराधी होते हैं तथा उनके लिए पांच वर्ष तक के कारावास के दण्ड का प्रावधान है। यह एक गैर जमानतीय अपराध है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005

इस अधिनियम में पीड़िता को न्यायालय से संरक्षण आदेश, साझा मकान में रहने का आदेश, पीड़िता को बेदखल न करने का आदेश, चिकित्सीय व्यय, भरण-पोषण एवं प्रतिकर प्राप्त करने का आदेश तथा बच्चों की देख-रेख का आदेश प्राप्त किया जा सकता है। इस अधिनियम में न्यायालय को अंतरिम अनुतोष एवं एक पक्षीय आदेश प्रदान करने का अधिकार भी होता है।

लौगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो)-2012

इस कानून में 18 वर्ष तक आयु के सभी बच्चों को संरक्षण प्रदान किया गया है। इसमें बच्चों के लैंगिक शोषण, लैंगिक हमला, अश्लील फिल्में बनाने में बच्चों का प्रयोग, बच्चों से सम्बन्धित अश्लील सामग्री रखना आदि को अपराध माना गया है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में पीड़ित बच्चे के नाम का प्रकाशन, अपराध की जानकारी होने पर कोई कार्यवाही न करना तथा झूंठी शिकायत करना भी अपराध है।

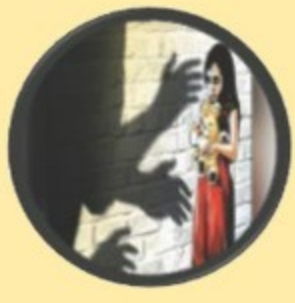

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम-1987

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अन्तर्गत महिलाएं नि:शुल्क विधिक सेवा हेतु पात्र व्यक्ति हैं। अत: नि:शुल्क विधिक सेवा हेतु पात्रता के लिए मात्र महिला होना ही पर्याप्त है उनके लिए आय एवं आर्थिक दुर्बलता का कोई मानक नही है।

विधिक विषयों एवं योजनाओं से संबन्धित जानकारी एवं सहायता के लिए सम्पर्क करें

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं आपकी तहसील के तहसीलदार से

दूरभाष - टोल फ्री : 1800 419 0234, 15100, 9452267450, 9839247613, 9453771821

ई-मेल : upslsa@nic.in Website : upslsa.up.nic.in

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

Uttar Pradesh State Legal Services Authority

महिलाओं के हित संरक्षण हेतु कानून

महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके हितों के संरक्षण व संवर्धन हेतु अनेक कानून बनाये गये हैं।

पूर्वगर्भाधान और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (PCPNDT) अधिनियम-1994

1- भारत में एक वयस्क महिला को गर्भपात कराने का अधिकार प्राप्त है। यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक की सहमति आवश्यक है। गर्भपात पंजीकृत चिकित्सक द्वारा ही किया जा सकता है किन्तु 12 सप्ताह से अधिक का गर्भ नहीं होना चाहिए परन्तु यदि 12 सप्ताह से अधिक एवं 20 सप्ताह तक का गर्भ है तो गर्भपात किया जा सकता है, यदि चिकित्सक की राय में वह मां के स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए आवश्यक है।

2- भारत में कन्या भ्रूण हत्या एवं गिरते हुए लिंगानुपात को रोकने के लिए संसद ने यह अधिनियम बनाया है। इस अधिनियम के तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच कराना अपराध है, जिसके लिए 5 वर्ष तक के कारावास एवं 50,000/-तक के अर्थदण्ड का प्रावधान है।

महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन शोषण (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम-2013

इस अधिनियम का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण से संरक्षण एवं उनकी शिकायतों पर अनुतोष प्रदान करना है।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006

इस अधिनियम द्वारा विवाह हेतु महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं पुरूष की 21 वर्ष कर दी गयी है। इसके उल्लंघन पर 2 वर्ष तक का कारावास एवं एक लाख रूपये तक का अर्थदण्ड का प्राविधान है।

गिरफ्तारी के समय एवं उसके बाद महिलाओं के अधिकार

- गिरफ्तारी से पूर्व यदि किसी महिला को पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो उसे विधिक सेवा संस्थानों से विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।

- महिला को गिरफ्तारी के समय अपने अधिवक्ता से राय प्राप्त करने, गिरफ्तारी मेमो प्राप्त करने, गिरफ्तारी का कारण जानने, चिकित्सीय परीक्षण का तथा अपने रिश्तेदारों को सूचित करने का अधिकार है।

- महिला को महिलाओं हेतु आरक्षित जेल में ही रखा जायेगा तथा उसकी तलाशी महिला वार्डन द्वारा ही ली जायेगी। महिला बंदी (गर्भवती होने की दशा में) पौष्टिक आहार पायेगी तथा उसके प्रसव का समुचित व्यवस्था की जायेगी।

- असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई स्त्री सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले गिरफ्तारी नहीं की जाएगी और जहाँ ऐसी असाधारण परिस्थितियाँ विद्यमान हैं वहाँ स्त्री पुलिस अधिकारी, लिखित में रिपोर्ट करके, ऐसे प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करेगी, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है या गिरफ्तारी की जानी है।

विधिक विषयों एवं योजनाओं से संबन्धित जानकारी एवं सहायता के लिए सम्पर्क करें

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं आपकी तहसील के तहसीलदार से

दूरभाष - टोल फ्री : 1800 419 0234, 15100, 9452267450, 9839247613, 9453771821

ई-मेल : upslsa@nic.in Website : upslsa.up.nic.in